फर्द अहकाम

कृष्णा बनाम मन्जु वगै०

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

केस संख्या 108/2023 दावा – 53,188

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/12/25	[illegible] P.O. [illegible] है। [illegible] पेश हो। 2/1/26 (रीडर)
	2/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। आवाज लगाने उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदमपैरवी, अदमहाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली नियम मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

#1-2023/173

न्यायालय :–सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा,
जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

राजस्व वाद सं0–108/2023

कृष्णा पुत्री जगदीश चन्द पत्नि श्याम सुन्दर उम्र–व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी नायन हालवासी सेंधवा (मध्य प्रदेश) जरिये मुख्त्यार आम महेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द, उम्र–व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी 27 नरसिंग गली नीमच (मध्य प्रदेश)

–वादी

बनाम

1. मंजू देवी पत्नि श्री सोहनलाल, उम्र–34 वर्ष, जाति सैनी, निवासी नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)
2. रेणूका देवी पत्नि विष्णु कुमार त्रिवेदी जाति ब्राहमण, निवासी नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)
3. रामसिंह जाट पुत्र रधुनाथ प्रसाद, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी कलवानियों का बास तन नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर,(राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)
5. उपतहसीलदार एवं उपपंजीयक कार्यालय अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान् जी,

सेवामें वाद पत्र(दो प्रतियो में)निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि आराजी खसरा नं0–1436 रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामिण में स्थित

श्रीमान

1. द्वारा .... क्षेत्राधिकार में है ।
...... पर पेश है ।

2.

3. ...... है ।

4. ...... जाती जाना के

5. ...... अंकित है ।
...... गया है ।

6. ...... हो ...... उत्तरादारी

7. ...... है ।

ह. रीडर/ लिपिक

श्रीमान् ACM साहब

है जिसकी खातेदारी मे वादी का हिस्सा 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–2 रेणुका देवी का 6/29 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–3 रामसिंह जाट का 17/58 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है सहखातेदार अभिषेक, अमरीश, आशीष, विक्रम पुत्रान रमेश चन्द व उमा देवी पत्नि रमेश चन्द, कमलेश देवी पुत्री जगदीश चन्द, चन्दा देवी पुत्री जगदीश चन्द, मुकेश, महेश पुत्रान जगदीश चन्द ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक–21.08.2023 द्वारा उक्त आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0–1 मंजू देवी पत्नि श्री सोहनलाल को कर दिया है अब उक्त आराजी में अभिषेक वगै0 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है इस कारण उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया गया है नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–323 व फोटो प्रति विकय पत्र दिनांक–21.08.2023 संलग्न वाद पत्र है।

2. यहकि वादी कृष्णा देवी वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी खसरा नं0–1436 रकबा 0.29 है0 के 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और अपने 1/12 हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती रही है वादी कृष्णा देवी ग्राम कलवानियों का बास से काफी दुर निवास करती है इस कारण उसे वाद ग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि को सार सम्भाल आदि करने में परेशानी होती है इस कारण वादी कृष्णा देवी ने वाद ग्रस्त आराजी में उसके हक हिस्से की भूमि की सार सम्भाल एवं वाद विवाद होने पर मुकदमा आदि दायर करने करने के समस्त हक अधिकार अपने सगे भाई महेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी 27 नरसिंग गली नीमच (मध्य प्रदेश) को देकर उसे अपना मुख्त्यारआम दिनांक–03.06.2016 को नियुक्त कर दिया है जिसके सम्ब्ध में अन्य के साथ वादी कृष्णा देवी ने एक मुख्त्यारनामा दिनांक–03.06.2016 को अपने भाई महेश कुमार के पक्ष में लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर गवाहान की उपस्थिति मे कर तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर दिया है मुख्त्यारनामा आम की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है उक्त मुख्त्यारनामा आम के आधार पर मुख्त्यार महेश कुमार वादी कृष्णा देवी की हक हिस्से की भूमि की सार सम्भाल करता आ

रहा है तथा वादी कृष्णा देवी की ओर से प्रस्तुत वाद दायर करने के लिए अधिकृत है।

3. यहकि वादी कृष्णा देवी का वाद पत्र के जिमन सं0–1 में वर्णित आराजी में 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–1 मंजू देवी का 5/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–2 का 6/29 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–3 का 17/58 हिस्सा है और उपरोक्त हिस्से अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 वाद ग्रस्त आराजी पर शामिल में ही काबिज काश्त है वाद ग्रस्त आराजी खसरा सं0–1436 रकबा 0.29 है0 स्टेट हाईवे की सडक से लगती हुई है इस कारण काफी कीमती एवं उपयोग की भूमि है।

4. यहकि वाद पत्र के जिमन सं0–1 में वर्णित आराजी खसरा सं0–1436 रकबा 0.29 है0 का वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 के मध्य बंटवारा नही हुआ लेकिन प्रतिवादी सं0–1 द्वारा सहखातेदारान अभिषेक वगै0 से उनके 5/12 हिस्से की भूमि खरीद करने के बाद उसके मन में दुर्भावना आ गई है और प्रतिवादी सं0–1 मंजू देवी वाद ग्रस्त आराजी में हाईवे सडक से लगती हुयी कीमती एवं अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा कर बिना बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भु–भाग पर प्लाटींग कर व्यवसायिक दुकानात का निर्माण कार्य कर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। दिनांक–25.09.2023 को प्रतिवादी सं0–1 अपने साथ 5–7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आया और हाईवे सडक से लगती वाद ग्रस्त आराजी के विशिष्ट भु–भाग की नाप जोख करने लगी तब वादी के मुख्त्यार महेश कुमार ने विशिष्ट भु–भाग की नाप जोख करने का कारण पूछा तो वह आवेश में आ गई और उसने वादी के मुख्त्यार को एलानियां धमकी दी कि वह बिना बंटवारे ही हाईवे से लगती वाद ग्रस्त आराजी के विशिष्ट भु–भाग पर प्लाटींग कर व उस पर दुकानात आदि का निर्माण कर विशिष्ट भु–भाग को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में प्रतिवादी सं0–5 के कार्यालय में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर वाद ग्रस्त आराजी में वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भु–भाग का कब्जा अजनबी व्यक्तियो

को सम्भलाकर रहेगी। तब वादी के मुख्त्यार ने प्रतिवादीगण से वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा को कहा तो उन्होने बंटवारा कराने से इंकार कर दिया।

5. यहकि यदि प्रतिवादी सं0–1 अपने मन्सूबे में सफल हो गई और उसने वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भुभाग को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में प्रतिवादी सं0–4 के कार्यालय में विकय पत्र पंजीबद्ध करवाकर व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादी को वाद ग्रस्त आराजी से उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखलकर अजनबी व्यक्ति को विशिष्ट भुभाग का कब्जा करवा देगी तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी को बढवा मिलेगा। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद ग्रस्त आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवारा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यहकि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 4 में वर्णित प्रकार से वाद ग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 की सहखातेदारी भूमि होने एवं उसमें वादी का 1/12 हिस्सा होने तथा वाद ग्रस्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 द्वारा शामिल में काबिज रहकर काश्त करने तथा प्रतिवादी सं0–1 मंजू देवी द्वारा बिना बंटवारा करवाये ही वाद–ग्रस्त आराजी के विशिष्ट भुभाग पर प्लाटींग कर दुकानात आदि का निर्माण कर अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0–3 के कार्यालय में अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाने की तथा वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर अजनबी व्यक्ति का विशिष्ट भुभाग पर वाद पत्र के जिमन नं0–4 में वर्णित प्रकार से धमकी देने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा करने से इन्कार कर देने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

7. यहकि राजस्थान सरकार भूमि धारक है जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है इस कारण उसे प्रस्तुत वाद में जरिये तहसीलदार–शाहपुरा के रूप में पक्षकार प्रतिवादी सं0–4 बनाया गया है।

8. यहकि प्रतिवादी सं0–5 लोक सेवक है जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा–80 (1) जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उसे उक्त विधिक नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं रहा है इस कारण वादी ने अलग से धारा–80 (2) सपठित धारा–151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेशकर माननीय न्यायालय से प्रतिवादी सं0–5 को विधिक नोटिस दिये जाने से छूट व उसके खिलाफ दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

9. यहकि आराजी मुतनाजा व पक्षकारान का निवास स्थान व कार्यालय माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

10. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्धारित कोर्ट फीस दावा बाबत (बंटवारा) एक रूपया एवं दावा बाबत (स्थायी निषेधाज्ञा) एक रूपया कुल 2/–रुपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत वाद पत्र पेश है।

11. यहकि वादी प्रार्थी है कि :–

(क) यहकि वादी का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ मंजूर कर आराजी खसरा नं0–1436 रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण का वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवारा करवाया जावे और उक्त बंटवारे में आयी भूमि पर वादी का अलग से कब्जा करवाया जावे तथा उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) यहकि प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के

बंटवारे में आधी भूमि के कब्जे काश्त व उपभोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे; न करावे।

(ग) यहकि हर्जा खर्चा वाद व अन्य सहायता बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

दिनांक 27-9-2023

वादी

कृष्णा पुत्री जगदीश चन्द पत्नि श्याम सुन्दर उम्र–व्यस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी नायन हालवासी सेंधवा (मध्य प्रदेश) जरिये मुख्त्यार आम महेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द, उम्र–व्यस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी 27 नरसिंग गली नीमच (मध्य प्रदेश)

सत्यापन

मैं उपरोक्त सत्यापनकर्ता सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र के सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही व सत्य है, जिसे मैने अपने सलाह सलाहकार से तैयार करवाया कर पढवाकर, सुन व समझ लिया है, इस प्रकार कोई तथ्य वाद पत्र में मिथ्या अंकित नहीं है ईश्वर हमारा साक्षी है।

दिनांक 27-9-2023

स्थान–शाहपुरा (जयपुर)

सत्यापनकर्ता